



VLC मीडिया प्लेयर पर प्रतिबंध

प्रलिस के लिये:

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009, धारा 69A, कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने में कार्यकारी की शक्तियाँ, साइबर सुरक्षा

मेन्स के लिये:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधान, कंटेंट को वनियमिति करने में सरकार की शक्तियाँ, साइबर सुरक्षा के लिये सरकार की पहल

चर्चा में क्यों?

वीडियोलेन क्लाइंट (VLC) मीडिया प्लेयर की वेबसाइट को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- जबकि VLC का कहना है कि उसके आँकड़ों के अनुसार भारत में फरवरी 2022 से उसकी वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

VLC और उस पर आरोपित प्रतिबंध:

■ VLC:

- VLC ने 90 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में लोकप्रियता हासिल की जब सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगतिके कारण भारत में परसनल कंप्यूटर का प्रवेश हुआ।
- एक मुक्त और खुला स्रोत होने के अलावा, VLC आसानी से अन्य प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सेवाओं के साथ एकीकृत हो जाता है एवं अतिरिक्त कोडेक की आवश्यकता के बिना सभी फाइल स्वरूपों का समर्थन करता है।

■ VLC पर प्रतिबंध:

- VLC वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फरि भी VLC ऐप गूगल और ऐपल स्टोर पर डाउनलोड के लिये उपलब्ध है।
- VLC वेबसाइट पर प्रतिबंध के संबंध में नागरिक समाज संगठनों ने कई बार सूचना का अधिकार (RTI) आवेदन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के पास दायर किये हैं।
 - हालाँकि इन आवेदनों उत्तर में मंत्रालय ने "किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध न होने" की बात कही है।
 - जब वेबसाइट को पहले एक्सेस किया गया था, तो उस पर "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के अनुसार वेबसाइट को अवरुद्ध कर दिया गया है" का संदेश प्रदर्शित किया गया था।
- प्रतिबंध के कारण:
 - चीन का दखल :
 - अप्रैल 2022 में साइबर सुरक्षा फर्म, समिटेक की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि कथित तौर पर चीन द्वारा समर्थित एक हैकर समूह, सकाडा मैलवेयर को सक्रिय करने के लिये वीएलसी मीडिया प्लेयर का उपयोग कर रहा है।
 - सुरक्षा सार्वर:
 - VLC वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; इसका ऐप, ऐप स्टोर के सर्वर के रूप में डाउनलोड के लिये उपलब्ध है, जहाँ मोबाइल ऐप होस्ट किये जाते हैं, यह उन सर्वरों की तुलना में सुरक्षा माने जाते हैं जहाँ डेस्कटॉप संस्करण होस्ट किये जाते हैं।

सरकार जनता के लिये ऑनलाइन कंटेंट पर कब प्रतिबंध लगा सकती है?

- ऐसे दो मार्ग हैं जिनके माध्यम से कंटेंट को ऑनलाइन अवरुद्ध किया जा सकता है:
 - कार्यपालिका:
 - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:
 - धारा 69 A सरकार को किसी मध्यस्थ को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा,

वर्दिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हति में या कर्सी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लयि उकसाने से रोकने के लयि कर्सी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषति, प्राप्त, संग्रहीत या होस्ट की गई कर्सी भी जानकारी को "जनता द्वारा पहुँच के लयि अवरुद्ध" करने का नरिदेश देती है।

- धारा 69A [संवधान के अनुच्छेद 19 \(2\)](#) से अपनी शक्ति प्राप्त करती है जो सरकार को भाषण और [अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार](#) पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है।

○ न्यायपालिका:

- भारत में न्यायालयों के पास पीडति/वादी को प्रभावी उपचार प्रदान करने के लयिमध्यस्थों को भारत में कंटेंट को अनुपलब्ध बनाने का नरिदेश देने की शक्ति है।
 - उदाहरण के लयि, न्यायालय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती हैं जो पायरेटेड कंटेंट तक पहुँच प्रदान करती हैं और वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हैं।

कंटेंट को ऑनलाइन ब्लॉक करने की प्रक्रिया क्या है?

■ परिचय:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत तैयार की गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना की पहुँच को अवरुद्ध करने के लयि प्रक्रिया और सुरक्षा) नयिम, 2009 (आईटी नयिम, 2009) द्वारा कंटेंट को अवरुद्ध करने की वसितुत प्रक्रिया प्रदान की गई है।
 - केवल केंद्र सरकार मध्यस्थों को सीधे ऑनलाइन कंटेंट तक पहुँच को अवरुद्ध करने के नरिदेश देने की शक्ति का प्रयोग कर सकती है न किराज्य सरकार।

■ प्रक्रिया:

- केंद्र या राज्य एजेंसियों एक "नोडल अधिकारी" नयिकृत करती हैं जो केंद्र सरकार के "नामति अधिकारी" को प्रतिबंधित करने के आदेश को अग्रेषति करेगा।
- एक समति के हसिसे के रूप में नामति अधिकारी नोडल अधिकारी के अनुरोध की जाँच करता है।
 - समति में कानून और न्याय मंत्रालय, सूचना और प्रसारण, गृह मामलों और CERT-IN के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- वचिराधीन कंटेंट के नरिमाता/होस्ट को स्पष्टीकरण और उत्तर प्रस्तुत करने के लयि एक नोटसि दया जाता है।
- इसके बाद समति सफिराशि करती है किर नोडल अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार कया जाना चाहयि या नहीं।
 - यदरि इस सफिराशि को MEITY द्वारा अनुमोदति कया जाता है, तो नामति अधिकारी कंटेंट को हटाने के लयि मध्यस्थ को नरिदेश दे सकता है।

साइबर सुरक्षा के लयि सरकार की पहल:

- [साइबर सुरक्षति भारत पहल](#)
- [साइबर स्वच्छता केंद्र](#)
- [ऑनलाइन साइबर क्राइम रपिरटिंग पोर्टल](#)
- [भारतीय साइबर अपराध समनवय केंद्र \(I4C\)](#)
- [राष्ट्रीय महतत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र \(NCIIPC\)](#)
- [सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000](#)
- [राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020](#)

आगे की राह

■ पारदर्शति:

- आईटी नयिम, 2009 के नयिम 16 में प्रावधान है किर आईटी नयिम, 2009 के तहत कर्सी भी अनुरोध या कार्रवाई के संबंध में सख्त गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहयि।
 - इस पर फरि से वचिरा कया जाना चाहयि और पारदर्शति का एक तत्त्व पेश कया जाना चाहयि क्योकि इस पर कोई स्पष्टता नहीं है किर VLC को क्यो अवरुद्ध कया गया है।

■ जवाब देने का अवसर:

- नरिमाता/मेजबान द्वारा स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत करने के अवसर की कमी नैसर्गकि न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।
 - नरिमाता/मेजबान को संबंधति प्राधिकारी के सामने अपना जवाब प्रस्तुत करने के लयि उचित समय दया जाना चाहयि।

■ समीक्षा समति प्रभावशीलता:

- यह देखा गया है किर समीक्षा समति जसि आदेशों की समीक्षा के लयि प्रत्येक दो महीने में बैठक करनी होती है समति के कर्सी भी नरिणय से असहमत नहीं है।
 - इसे समति के आदेशों की गहन वशिलेषण के साथ समीक्षा करने और उचित सफिराशें प्रदान करने का प्रयास करना चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQ):

?????????? ? ?????:

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कसिके लयिे साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिर्ट करना कानूनी रूप से अनविर्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नकिया

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

- सूचना प्रौद्योगिकी अधनियिम, 2000 (IT Act) की धारा 70 B के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधसूचना द्वारा घटना प्रतिकरिया के लयिे राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिकरिया टीम (CERT-In) नामक एक एजेंसी का गठन कयिा गया है ।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधनियिम, 2000 की धारा 70 B के तहत वर्ष 2014 में CERT-In के लयिे नयिम स्थापति और अधसूचति कयिे । नयिम 12 (1) (A) के अनुसार, घटना होने के उचति समय के भीतर CERT-In को साइबर सुरक्षा की घटनाओं के लयिे सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉर्पोरेट नकियायों हेतु रपिर्ट करना अनविर्य है । अतः वकिल्प (d) सही है ।

प्रश्न. भारत के प्रमुख शहरों में आईटी उद्योगों के वकिस से उत्पन्न होने वाले मुख्य सामाजकि-आर्थकि नहितिरथ कया हैं? (मुख्य परीक्षा, 2021)

प्रश्न. वभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों और खतरे से लड़ने के लयिे आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजयिे । (मुख्य परीक्षा, 2020)

प्रश्न. बढ़ते साइबर अपराधों के कारण डजिटिल दुनयिा में डेटा सुरक्षा ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लयिा है । नयायमूर्ता बी.एन. शरीकृषणा समति की रपिर्ट डेटा सुरक्षा से संबंधति मुद्दों को संबोधति करती है । आपके वचिर में साइबर स्पेस में वयक्तगित डेटा की सुरक्षा से संबंधति रपिर्ट की ताकत और कमजोरयिा कया है? (मुख्य परीक्षा, 2018)

[सरोतः द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ban-on-vlc-media-player>